रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 25—अगस्त 31, 2019, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1941

No. 35] NEW DELHI, AUGUST 25—AUGUST 31, 2019, SATURDAY/BHADRA 3— BHADRA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 267.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) समूह 'ग' अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर – समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

4220 GI/2019

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

सा.का.नि.274.—राष्ट्रपति संविधान के अनुक्षछेद 309 के परंतुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और निदेशक (राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन) भर्ती नियमावली 2002 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, विज्ञान और प्रौघोगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 है।

   2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवत रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 (144200–218200 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
50 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा–जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई हैं।)	**आवश्यकः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल में मास्टर डिग्री सहित भूगोल में डाक्टरेट। (ii) क्षमता अवस्थिति की कार्यकारणी में भूगोल या भू-विज्ञान या भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य या अनुसंधान का 15 वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (i) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय मानचित्र संगम या इसी प्रकार के संगठन या संगमों की सदस्यता। (ii) मानचित्रकारी एवं सहबद्ध शाखाओं पर अधिमान्यतः अनुसंधान के प्रकाशन और आंकलन पुनर्विलोकित जर्नलों में प्रकाशनों द्वारा साक्षयित हो। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सराकर या संघ

सहित) जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारीः (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (131100–216600 रु.) के स्तर 13 क या समतुल्य में नियमित आधार पर पद की नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्य (123100–215900 रू.) के स्तर 13 या समतुल्य नियमित आधार पर पद की नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो;और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समितिः 1. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. अन्य वैज्ञनिक विभागों से दो सदस्य (भारत सरकार का अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो) जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. एस एम/01/20/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 30th April, 2019

G.S.R. 274.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Director (National Atlas and Thematic Mapping Organisation), Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director.	1* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service; Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 50 years. **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)	**Essential:** (i) Doctorate in Geography with Master's Degree in Geography from a recognised university or institute. (ii) 15 years working or Research Experience in the field of Geography or Geology or Geo-spatial Technologies in executive or faculty position. Desirable: (i) Membership of National and International Geographical Societies or Indian National Science Congress or Indian National Cartographic Association or similar type of organisations or associations. (ii) Research publication preferably on Cartography and allied disciplines as evidenced by publication in peer-reviewed journals. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission,	Not applicable	One year for direct recruits.

	for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract): Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 58 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental confirmation Committee: 1. Secretary, Department of Science and Technology – Chairman; 2. Two members from other scientific Departments (not below the rank of additional secretary to the Government of India) to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology – Members.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.

[F. No. SM/01/20/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.